

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसि/मटी अनुभाग / अध्यापक / 2017-18 / 1174

आदेश

दिनांक: 17/10/2019

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-2/2017-18 दिनांक 05.02.2018 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 06.02.2018 के तहत अध्यापक लेवल द्वितीय (कक्षा 6-8) गणित-विज्ञान, अर्थकी (मैन टीएसपी / टीएसपी) ग्रेड III सीधी भर्ती 2017 हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर आरटेट / शीट के प्राथमिक प्रतिशत का 70% एवं स्नातक के प्राथमिक प्रतिशत का 30% के आधार पर अध्यापक लेवल द्वितीय (गणित-विज्ञान) टीएसपी पद हेतु वरीयता निर्धारित कर प्रौढिकनाल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त पात्र पाए जाने पर वरीयतानुसार चयन किए जाने के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जाकर कार्यभार करने की तिथि से दो वर्ष के परीक्षा काल पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1) वित्त(विद्यम)/2013 दिनांक 30.10.2017 एवं क्रमांक एफ.15(1) वित्त(विद्यम)/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनर्निर्धारित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार में अस्थाई को दो वर्ष का परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पर्याप्त लेवल-10 में रूपये 39800/- न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
2. राजस्थान सिविल सेवा पुनर्निर्धारित वेतन नियम 2017 के नियम 16 के अनुसार परीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- प्रतिमाह देय होगा।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए.13(1) वित्त / विद्यम / 03 दिनांक 02.08.2005 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा(अंशदायी पेशान) नियम, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4) वित्त(विद्यम)/99 दिनांक 14.01.2004 द्वारा संशोधित विधिकता सेवा नियम लागू होंगे।
5. राज्य सरकार के आदेशांक एफ. 11(1) वित्त(रूप-2)/93 दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी संशोधित भवन ऋण नियम लागू होंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 08.04.2003 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
7. प्रथम पदस्थापन स्थान से तीन वर्ष तक अन्यत्र स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा।

S.NO.	Merit No.	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	Selection Category	70 % of REET	30% Of Graduation	Total percentages	Home District	School	PS	District
1	10	20180119954	MAUKESH KUMAR PATIDAR	NATHULAL PATIDAR	6/7/1988	Male	OBC-NON CREAMY	General	50.87	14.92	65.79	BANSWARA	राज प्रा स वि. सरदेही	मठी	बांसवाड़ा

नोट- 1. अस्थाई पदस्थापन संकलन केंद्र पर उपस्थित होकर कार्यभार प्रारंभ करने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि कार्यभार करने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुक्रम मात्र, उनके निधि, आयु, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग (श्रेणी) आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से जांच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वसत्यापित छात्रा प्रतियोगिता, मुख्य विधिकता एवं स्वास्थ्य शैक्षणिक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), सन्तान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी घोषणा पत्र, नष्ट करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अस्थाई को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार हेतु प्रेषित करें।

2. संबंधित अस्थाई को कार्यभार करने से पूर्व नवीनमान नैन-किमीलेयर पिछड़ी जाति का पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. अस्थाई से पुलिस वरिष्ठ सत्यापन प्राप्त कर कार्यभार करावें। पुलिस वरिष्ठ सत्यापन के अभाव में 6 माह की अवधि में पुलिस वरिष्ठ सत्यापन प्रस्तुत करने एवं कोई आस्थापिक प्रकरण लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार करावें।
4. यदि इस समय कोई अस्थाई किसी विभाग में कार्यरत है तो उस विभाग से नियुक्ति अधिकारी (नियोजक) का अनुमति प्राप्त पत्र व कार्यभार आदेश / त्थापन प्रस्तुत करने के पर्यन्त ही पदस्थापन स्थान पर कार्यभार करने हेतु उपस्थित होंगे। संबंधित संकलन प्रभाषी पूर्व में सेवाएं अस्थाईओं से उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पर्यन्त ही कार्यभार करावें। नव नियुक्त अस्थाई को नौ से जो पदों से राज्य सेवा में नियुक्ति कार्मिक के रूप में सेवाएं हैं उन्हें पूर्व पद पर कार्यरत रहते हुए प्राय वेतनमान (एचसीसी को अभाव पत्र) अथवा निम्न न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 23700/- दोनों में निसे देने का विधान कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया जावे तदनुसार आदेशित करावें।
5. अस्थाई जो भारत के सिक्किम के प्रति सत्यापित की शपथ निहित प्रस्ताव में लेनी होंगी।
6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी शपथ आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगे।
7. नियुक्ति कार्मिकों को दिनांक 01 फरवरी, 2019 तक कार्यभार करना होगा तत्पश्चात् नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

राजस्थान
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: शिक्षा/शे/पदी अनुभाग/अवधि/2017-18/ 1174

दिनांक: 17/01/2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवेदन आवेदन हेतु प्रेषित है-

1. क्षेत्रीय विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. क्षेत्रीय संचालक शासन सचिव, शिक्षा (युव-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. क्षेत्रीय विशिष्ट राजपथक, मानवीय संस्कृत शिक्षा राजपथक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. क्षेत्रीय मुख्य शिक्षिका एवं राजपथक अधिकारी, संबंधित जिला -----।
5. संबंधित सहायी संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (एच)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित संचालक पदाधी (राजस्थान/संस्कृत/राजपथक) को वेबसाइट देखें कि आवेदन के कार्यालय करने ही इसकी सूचना अधिलेख सेवाएं एवं निदेशालय में लिखवाते।
7. संबंधित राजस्थान।
8. संबंधित जयपुर।
9. राजस्थान अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को अधिकार पत्रिका हेतु।
10. राजस्थान पत्रिका।

२५१८

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर